निबंधन **संख्या** पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 37 **पटना, बुधवार, 23 भाद्र 1944 (श0) / 14 सितम्बर 2022 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-3**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**4-4**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**5-6**
पूरक	**7-8**
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना
13 सितम्बर 2022

अधि०सू०सं०–01/स्था०राज०–120/2015–पार्ट–1692—श्री संदीप कुमार, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, सिवान द्वारा पद त्याग से संबंधित दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से परामर्शोपरांत दिनांक–20.03.2020 के प्रभाव से उनका त्याग–पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
पूनम कुमारी, उप सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
29 अगस्त 2022

सं० 6/नि0प्रति0नियु0–01–02/2018–वा0–कर0–2350—विभागीय अधिसूचना संख्या–7082 दिनांक 11.12.2018 द्वारा 56वीं–59वीं बैच के 90 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनियुक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 01 पदाधिकारी का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल है :–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्त्तमान पदस्थापन
1	श्री दीपक कुमार शर्मा	476	पटना	08.02.1983	अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना

अतः उपर्युक्त 01 नव नियुक्त पदाधिकारी की विभागीय अधिसूचना संख्या–7082 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य–कर अपर आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव।

30 अगस्त 2022

सं० 6/गो0–34–01/2022–2367—वाणिज्य कर विभाग के परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0सं0	परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का नाम	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4
1	अनुपम कुमारी (63वीं0 बैच)	मुजफ्फरपुर	राज्य–कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल
2	नितेश कुमार (64वीं0 बैच)	पटना	राज्य–कर सहायक आयुक्त मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल

क्र0सं0	परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का नाम	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान
1	2	3	4
3	पीयूष राज (64वीं0 बैच)	भागलपुर	राज्य–कर सहायक आयुक्त कटिहार अंचल
4	हिमांशु शेखर (64वीं0 बैच)	पूर्णियाँ	राज्य–कर सहायक आयुक्त सहरसा अंचल
5	सलोनी सौम्या (64वीं0 बैच)	मुजफ्फरपुर	राज्य–कर सहायक आयुक्त दरभंगा अंचल
6	मो0 वसीम (64वीं0 बैच)	अरवल	राज्य–कर सहायक आयुक्त सारण अंचल
7	अराधना रविन्द्र (64वीं0 बैच)	नालंदा	राज्य–कर सहायक आयुक्त नवादा अंचल
8	शिवम प्रकाश (64वीं0 बैच)	पटना	राज्य–कर सहायक आयुक्त भागलपुर अंचल
9	कौशल कुमार (64वीं0 बैच)	जहानाबाद	राज्य–कर सहायक आयुक्त बिहारशरीफ अंचल

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार सिन्हा, राज्य–कर अपर आयुक्त–
सह–संयुक्त सचिव।

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ

प्रभार प्रतिवेदन
27 अगस्त 2022

सं० 2927—अधोहस्ताक्षरी मैं **राजेश चौधरी,** भा0प्र0से0, आज दिनांक 27.08.2022 के पूर्वाह्न में आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का पदभार स्वतः ग्रहण किया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–1/सी0–1011/ 2022–सा0प्र0–15116 दिनांक 27.08.2022 द्रष्टव्य।

(ह०)–अस्पष्ट,
प्रतिहस्ताक्षरित

(ह०)–अस्पष्ट,
भारग्राही पदाधिकारी

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान।

कार्यालय आदेश
2 सितम्बर 2022

का0आ0सं0 :–1/स्था0अनु0–12–101/2022–52/सिवान—जिला अनुकम्पा समिति–सह–जिलाधिकारी, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2022 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति, बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक **51मु0/स्था0, गोपालगंज, दिनांक 30.07.2022** द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में **श्री समीम अहमद गद्दी (आधार नं0–972307484435), पिता–स्व0 गेना गद्दी, भूतपूर्व नहर मेठ, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज** को अनुकंपा के आधार पर वेतनमान लेवेल–**I (18000 – 56900) ग्रेड पे–1800** रूपये एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित **कार्यालय परिचारी** (वर्ग–04) के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान **कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज** के कार्यालय में दिनांक **26.09.2022** तक देना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. इनकी वरीयता नियुक्ति तिथि के पूर्व तैयार की गई वरीयता सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. **स्व0 गेना गद्दी** के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व **श्री समीम अहमद गद्दी** पर होगा। यदि मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण–पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला **गोपालगंज** के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. स्वीकृत रोस्टर बिन्दु के आधार पर नियमानुसार रोस्टर बिन्दु अग्रगणित किया जा सकेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. गलत कागजात/अभिलेख के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने की सूचना प्रकट होने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के पश्चात् पुनः अनुकम्पा का लाभ लेते हुए संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS)लागू होगा।

आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 1017—I Tanuja Sahay, W/o Navin Kumar, 115, E Shri Krishnapuri Opp Krishna apartment Boring road, Patna–800001, (Bihar) do here by Solemnly declare Vide Affidavit No. 4159 Dated 15.07.2022 that in matriculation Certificate my Name is Tanuja Srivastava and in Share Certificate my name is Tanuja, But after Marriage my name was changed as Tanuja Sahay. Tanuja Srivastava alias Tanuja and Tanuja Sahay are the same person. Hence forth I will be know as Tanuja Sahay for all purpose.

TANUJA SAHAY.

सं० 1018—मैं राजिया सुल्ताना पति हजरत मुख्तार अहमद अंसारी ग्राम–सिकन्दरपुर, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर (भभुआ) बिहार की मूल निवासी हूं व भारतीय हूं तथा शपथ पत्र संख्या–1518 दिनांक–02.08.2022 द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरा पुत्र अम्मार अंसारी AMMAR ANSARI वर्ष 2020 में 10 वीं कक्षा उतीर्ण कर चुका है जिसका रोल नंबर–22153199 है के 10 वीं कक्षा के मार्कशिट में मेरी नाम भूलवश RAZIA SULTANA दर्ज हो गया है जबकि मेरी सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरी वास्तविक नाम RAJIA SULTANA दर्ज है वो सत्य है।

राजिया सुल्ताना।

सं० 1025—मैं हजरत मुख्तार अहमद अंसारी पिता स्व. अब्बास अली अंसारी ग्राम–सिकन्दरपुर, थाना–चैनपुर, जिला–कैमूर (भभुआ) बिहार का मूल निवासी हूं व भारतीय हूं तथा शपथ पत्र सं0–1517 दिनांक–02.08.2022 द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र अम्मार अंसारी AMMAR ANSARI वर्ष 2020 में 10 वीं कक्षा उतीर्ण कर चुका है जिसका रोल नंबर 22153199 है के 10 वीं कक्षा के मार्कशिट में मेरा नाम भूलवश मुख्तार अहमद अंसारी MUKHTAR AHMAD ANSARI दर्ज हो गया है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरा वास्तविक नाम हजरत मुख्तार अहमद अंसारी HAZRAT MUKHTAR AHMAD ANSARI दर्ज है वो सत्य है।

हजरत मुख्तार अहमद अंसारी।

No. 1026—I, NANCY D/o J.P. Upadhyay R/o H.No 817, ward no. 11, Near Hi Mart Saguna more, Danapur cantt. Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare that as per aff. No 97 dated 30.04.2022 Now I will be known as NANCY UPADHYAY for all purposses.

NANCY.

No. 1027— I, Raman Singh, S/o- Sri Vijay Kumar Singh R/O-G-01, B-Block, Ashirvas Enclave, Anandpuri, Boring Road, P.O.-G.P.O. P.S.-S. K. Puri, Dist- Patna, (Bihar). That, ADITYA PRATAP SINGH is my son, That my aforesaid son has passed secondary School Examination 2020, bearing Roll no. 22193913 in his certificate Father's name has been incorrect mentioned as RAMAN KUMAR in place of correct Name RAMAN SINGH. That I want to correction in father's name of my son's certificate RAMAN SINGH in place RAMAN KUMAR. Affidavit No.-097 Dtd-04.01.2022.

RAMAN SINGH.

No. 1028— I, Jay S/o- Sri Mukesh Kumar Singh, R/o- Rental Flat No.- 271, Lohiya Nagar, Kankarbagh, P.S. Kankarbagh, District-Patna Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.- 9683/28.06.22 that my father's name is Sri Mukesh Kumar Singh and my mother's name is Shashi Singh. Now I will be known as "JAY SINGH"

JAY.

No. 1029—I, Kumari Shikha, D/o J.P. Upadhyay, R/o House No. 817. Ward No-11, Near Hi Mart, Saguna More Danapur Cantt., Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 96/30.04.22 that I will be known as SHIKHA UPADHYAY.

KUMARI SHIKHA.

सं० 1030—मैं पियूष वल्द श्री परमपद कुमार, साकिन–नारियल घाट,पो.– दीघा, थाना– दानापुर, पटना, बिहार यह सूचित करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम पियूष दर्ज है शपथ पत्र सं.–439/16.08.2022 द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब मैं पियूष साह के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

पियूष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 26—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि0को0(अधी0)–01–21/2022–9321
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
7 सितम्बर 2022

दिनांक 15.10.2021 की रात्रि लगभग 9:30 बजे मंडल कारा, बेगूसराय में संसीमित बंदियों के बीच हुए विवाद एवं मारपीट की घटना के संबंध में विभागीय ज्ञापांक 4614 दिनांक 20.04.2022 द्वारा श्री राजेश कुमार राय, बिहार कारा सेवा, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गई। तद्आलोक में श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय द्वारा अपने पत्रांक 2050 दिनांक 21.04.2022 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

2. श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राय के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6276 दिनांक 03.06.2022 द्वारा उनके विरूद्ध निम्नांकित लघु दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(i) **निन्दन।**

(ii) **असंचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड।**

3. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राजेश कुमार राय द्वारा पूर्व में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया था, जिसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–24(2) में वर्णित प्रावधान *''सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकती है ''*, के तहत अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे विभागीय पत्रांक 7758 दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से श्री राय को संसूचित किया गया।

4. तदोपरान्त उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय द्वारा अपने पत्रांक 4487 दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया, जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 15.10.2021 को रात्रि लगभग 09:30 बजे कारा के कक्ष संख्या–14 में संसीमित बंदियों के बीच विवाद एवं मारपीट हुई, जिसमें घायल बंदी विनोद बिन्द को अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। इस घटना की जानकारी रात्रि में तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक के द्वारा उन्हें नहीं दी गई। इसके लिए प्रभारी उपाधीक्षक एवं तत्कालीन मुख्य उच्च कक्षपाल को चिन्हित करते हुए कठोर कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की गई, साथ ही मारपीट में शामिल 02 कक्षपालों को प्रथम दृष्टया दोषी पाकर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। श्री राय का कहना है कि उनके संज्ञान में आते ही स्थिति को त्वरित कार्रवाई (Alarm) कर नियंत्रित कर लिया गया एवं घटना के लिए दोषी 20 बंदियों पर भी निकटवर्ती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। श्री राय का कहना है कि उक्त घटना में उनको दिया गया लघु दण्ड बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जो उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकृति के साथ लघु दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

5. श्री राय के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में पुनः उन्हीं बातों को दोहराया गया है, जिसका उल्लेख उन्होंने पूर्व में अपने स्पष्टीकरण के जवाब में

किया था, जिसे सम्यक् विश्लेषणोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री राजेश कुमार राय द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई है, परिणामस्वरूप कारा के अति सुरक्षित क्षेत्र में बंदियों के बीच विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई है तथा घटना के अगले दिन कई बंदियों को बुलाकर कारा कर्मियों द्वारा पिटाई की गयी, जिसमें एक बंदी बेहोश हो गया तथा उसकी मृत्यु का अफवाह फैल जाने से बंदी उत्तेजित होकर तोड़–फोड़ करने लगे और कक्षपालों पर हमला कर दिये। श्री राय का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि उक्त घटना की सूचना उन्हें किसी अधीनस्थ कर्मी द्वारा नहीं दी गई। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि उनका अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव था तथा कारा में इस प्रकार की गंभीर घटना की तत्काल उन्हें सूचना नहीं मिलना, उनके कारा पर सम्यक् पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में घोर कमी को परिलक्षित करता है। कारा जैसे संवेदनशील स्थान पर इस प्रकार की घटना होना श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय की कर्त्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही तथा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। साथ ही कारा के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी के रूप में श्री राय की पदीय दायित्वों के निर्वहन में विफलता का परिचायक है। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय को ''निन्दन'' एवं ''असंचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड'' अधिरोपित किया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय के विरूद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
1st September 2022

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**05/2022**-4004—WHEREAS, It is alleged that **Md. Shahabuddin, the then Head Teacher, Middle School, Khuntidih, Aurangabad S/o Late Lukmaan, Vill.-Sahi Road, P.S.- Madanpur, Aurangabad,** while holding the post of **Head Teacher, Middle School, Khuntidih, Aurangabad** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. **22/2017** dated **27.03.2017.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Md. Shahabuddin, the then Head Teacher, Middle School, Khuntidih, Aurangabad,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Courts Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible,
Additional Chief Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in